International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: RJIF 5.7
IJLE 2024; 4(2): 77-81
www.educationjournal.info
Received: 06-06-2024
Accepted: 09-07-2024

कैलाश प्रसाद पाण्डेय
शोध छात्र शिक्षा, लाइफ लॉंग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. स्वर्णलता त्रिपाठी
प्राचार्य, कृष्णा कालेज ऑफ एजुकेशन, मनगवाँ, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
कैलाश प्रसाद पाण्डेय
शोध छात्र शिक्षा, लाइफ लॉंग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयों के संचालन में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

कैलाश प्रसाद पाण्डेय, डॉ. स्वर्णलता त्रिपाठी

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयों के संचालन में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रूप में चयनित रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड से 10 और विकासखण्डों से 5–5 प्राथमिक विद्यालय कुल 50 विद्यालयों को न्यादर्श में चयनित कर प्रत्येक विद्यालय से प्रधानाध्यापक, 2–2 शिक्षक कुल 100 शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी तथा प्रत्येक विद्यालय से 04 छात्र व 04 छात्राएं कुल 400 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया किया गया है। शोधार्थी ने सभी न्यादर्शों का चयन दैव–निदर्शन विधि द्वारा किया है। शोध क्षेत्र में 83. 85 प्रतिशत अभिमत है कि शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव में सार्थक अन्तर है।

कूटशब्दः रीवा जिला, प्रारंभिक शिक्षा स्तर, शाला प्रबंधन समिति, शैक्षिक विकास, प्रभाव

1. प्रस्तावना
शासकीय प्राथमिक तथा मिडिल स्तर तक की शालाओं में इस अधिनियम के तहत अब पालक शिक्षक संघ का स्वरूप परिवर्तित होगा। अब शाला स्तर पर एक शाला प्रबंधन समिति होगी जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक एवं शिक्षक सम्मिलित होंगे ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। इस शाला प्रबंधन समिति में 3/4 सदस्य– अभिभावक, 50 प्रतिशत महिलाएं, कमजोर एवं वंचित वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। शाला प्रबंधन समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :–

- शाला के क्रियाकलाप को मॉनिटर करना।
- शाला विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, शाला विकास योजना का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाये जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- शाला विकास समिति/शालाविकास योजना सामान्यतः निम्नानुसार कार्य/ मानिटरिंग करेंगीः–
- कक्षावार वार्षिक नामांकन का आकलन अनुसूची में दर्शित मापदण्डों के अनुसार आगामी 3 वर्षो के लिए शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करना।
- अनुसूची में दर्शित मापदण्डों के अनुसार आगामी 3 वर्षो के लिए अधोसंरचना एवं उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करना।
- अगले 3 वर्ष वार्षिक वित्तीय आवश्यकता, शिक्षक अधोसंरचना, बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठयपुस्तक, गणवेश, साइकिल, छात्रवृत्ति, शाला के दायित्वों के निर्वहन हेतु अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता इत्यादि, की गणना सम्मिलित होगी।
- शाला को प्राप्त राशि के उपयोग की मॉनिटरिग करना। शाला विकास योजना के आधार पर ही शाला को अनुदान अथवा राशि प्रदान करना।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- शिक्षक एवं छात्रों को विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन सुनिश्चित करना।
- माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।
- कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करे अथवा प्राइवेट रूप से पढ़ाने के कार्य में स्वयं को संलिप्त नहीं करे, इसे सुनिश्चित करना।
- कोई भी शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाये।
- अनुसूची में दिये गये मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वयन को मॉनिटरिंग करना।

- सभी बच्चों का पड़ोस में स्थापित स्कूल में नामांकन उनकी नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
- बच्चों की षिक्षा के अधिकार का हनन होने, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, प्रवेश देने से इंकार करने, शुल्क लेने की स्थिति में स्थानीय निकाय को सूचित करना।
- 6 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बच्चे जो शाला में नहीं हैं, की आवश्यकताओं की पहचान उसकी पूर्ति हेतु योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति तथा उनके उपलब्धि स्तर को निरंतर मानिटरिंग करना।
- शाला में मध्यान्ह भोजन को मॉनिटरिंग करना।
- वार्षिक प्राप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा तैयार करना।
- माह में एक बार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक करना।
- शाला के क्रिया कलापों की मॉनिटरिंग करना,
- शाला विकास योजना का प्रारूप तैयार करना,
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बच्चों की शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करना,
- शतप्रतिशत बच्चों का शाला में नामांकन सुनिश्चित करना,
- कक्षा 8वीं उत्तीर्ण सभी बच्चों का कक्षा 9वीं में प्रवेश सुनिश्चित करना,
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति तथा उनके उपलब्धि स्तर की निरन्तर मॉनिटरिंग करना,
- शाला में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ–स्वच्छ पेयजल, शौचालय, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पाठ्य सामग्री, फर्नीचर, क्रीड़ा सामग्री, टाटपट्टी आदि की व्यवस्था करना,
- शाला में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना,
- शाला में विद्यार्थियों के लिये गणवेश सुनिश्चित करना,
- विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करना,
- शिक्षक, विद्यार्थी तथा पालकों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु प्रेरित करना,
- शाला विकास के लिये शुल्क निर्धारित करना तथा शाला को प्राप्त राशि के उपयोग एवं उसकी मॉनिटरिंग करना,
- शिक्षक और विद्यार्थी के बीच मित्रवत व्यवहार हो, विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड न देने के संबंध में शिक्षकों को सचेत करना,
- शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों का कैलेण्डर अनुसार क्रियान्वन सुनिश्चित करना,
- विभिन्न पर्वो/महापुरूषों की जयन्तियों के आयोजन में सहयोग करना,
- शाला में विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियों (स्काउट, रेडक्रास आदि) के सफल संचालन में सहयोग करना,
- मासिक, तिमाही तथा छःमाही परीक्षा परिणामों की समीक्षा तथा उसके आधार पर दिये जाने वाले अधिभार के आधार पर समीक्षा करके कमजोर विद्यार्थियों के लिये उपचारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था करना,
- शाला में मध्यान्ह भोजन की मॉनिटरिंग,
- माह में एक बार शाला विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक करना,
- उत्कृष्ट एवं सेवाभावी शिक्षकों को प्रोत्साहित करना,
- शाला में कार्यरत शिक्षकों की मुख्यालय पर आवास व्यवस्था में सहयोग करना,
- 6 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बच्चों जो शाला में नहीं है, की आवश्यकताओं की पहचान, उसकी पूर्ति हेतु योजना बनाना एवं विकसित करना।
- निशक्त बच्चों के लिये विद्यालयों में रेम्प की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जावें। विकास खण्ड स्तर पर सी.डब्ल्यू. एस.एन. हेतु मूल्यांकन एवं उपकरण वितरण शिविर लगाये जावें।
- शासकीय शालाओं में अध्ययनरत हितग्राही छात्र–छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण।
- विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की जावें। यह भी देखा जाये कि जो शौचालय बने है, उनमें साफ–सफाई अथवा वाटर सप्लाई हो रही है अथवा नहीं।
- शासकीय शालाओं मे ं अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त बालक–बालिकाओं को निशुल्क गणवेश वितरण किया जाना।

विद्यालय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों का एक प्रभावी और कुशल तरीके से उपयोग करके विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करना। विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि विद्यालय का उद्देश्य, विद्यालय की नीतियों और प्रक्रियाएं, विद्यालय के कर्मियों का प्रबंधन, विद्यालय के छात्रों का प्रबंधन, विद्यालय के वित्त का प्रबंधन, और विद्यालय के वातावरण का प्रबंधन।

2. अध्ययन की आवश्यकता

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयों के संचालन में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का आकंलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से विकसित करने में समर्थ हो सकता है। विद्यालय प्रशासन में अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबन्ध समिति तथा छात्रों की सहभागिता होती है। इनमें परस्पर सहयोग आवश्यक है। विद्यालय प्रशासन से संबंधित समस्याओं का समाधान आवश्यक है। अनुसंधान द्वारा उसकी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करके उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है।

3. उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है:–

1. शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शोध की परिकल्पनाएँ

परिकल्पना शोध समस्या एवं समस्या समाधान के बीच की कड़ी है। परिकल्पनाा से तात्पर्य है कि किसी भी समस्या के हल के बारे में पूर्वानुमान लगाना। परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, जो किसी सामान्य के संबंध में बना लिया जाता है और जिसकी सार्थकता की परीक्षा के लिए आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है:–

1. "शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"

2. "शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

5. शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – रीवा, रायपुर कर्चुचिलयान, सिरमौर, जवा, हनुमना, गंगेव, त्यौथर, नईगढ़ी एवं मऊगंज हैं। अतः जिला अन्तर्गत स्थित प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयों के संचालन में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए है।

6. शोध विधियाँ

शोध कार्य को संपूर्णता प्रदान करने हेतु कई प्रकार की शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। शोध विधियों के मुख्य प्रकार ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक है। शोध कार्य के अनुरूप प्रत्येक शोध विधि की अपनी विशेषताएँ एवं उपयोगिता है। शैक्षिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य मुख्य रूप से सर्वेक्षणात्मक (वर्णनात्मक) होगा। शोध अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 सर्वेक्षण विधि – प्राथमिक स्त्रोतों से प्रदत्तों के संकलन एवं पूर्व संचालित प्रदत्तो के सत्यापन हेतु शोध क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया है।

6.2 सांख्यिकी विधि – प्रयुक्त शोध उपकरणों से प्राप्त प्रदत्तों के सारणीयन के उपरान्त आवश्यकतानुसार माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, दो चरों में सार्थक अन्तर के आंकलन हेतु मध्यमान विचलन, टी–परीक्षण जैसी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार व प्रश्नावली पत्रक का उपयोग किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। न्यादर्श के रूप में चयनित रीवा जिले के रीवा विकासखण्ड से 10 और विकासखण्डों से 5–5 प्राथमिक विद्यालय कुल 50 विद्यालयों को न्यादर्श में चयनित कर प्रत्येक विद्यालय से प्रधानाध्यापक, 2–2 शिक्षक कुल 100 शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी तथा प्रत्येक विद्यालय से 04 छात्र व 04 छात्राएं कुल 400 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया किया गया है।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयों के संचालन में शाला प्रबंधन का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – कपिल, एच.के. (1996)[1], गुप्ता, एस.पी. (1997)[2], अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989)[3], खुल्लर, के.के. (1988)[4], आर्येन्दु, अखिलेश (2007)[5], कुमार, डॉ. संजय (2009)[6], कुमारी, शारदा (2005)[7], त्रिपाठी रेणु एवं त्रिपाठी, अर्पणा (2007)[8], जड़िया, कमलेश कुमार एवं जय सिंह (2019)[9]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्र. – 1 : शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

सारणी 1 : शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

क्र.	न्यादर्श में चयनित	न्यादर्श में चयनित संख्या	शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव					
			पड़ रहा है		नही पड़ रहा है		पता नही	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	प्रधानाध्यापक	50	47	94.00	03	6.00	00	00
2.	शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी	100	81	81.00	11	11.00	08	8.00
3.	शिक्षक	100	89	89.00	06	6.00	05	5.00
4.	छात्र	400	328	82.00	38	9.50	34	8.50
योग		650	545	83.85	58	8.92	47	7.23
काई वर्ग (χ^2)			$\chi^2 = 746.61$					
'पी' मान			0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक					

स्वतंत्रता के अंश 2

0.05 तर पर सार्थकता हेतु मान 5.99

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 9.21

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 में शोध क्षेत्र के रीवा विकासखण्ड से 10 और सभी विकासखण्डों से 5–5 प्राथमिक विद्यालय कुल 50 विद्यालयों को न्यादर्श में चयनित कर प्रत्येक विद्यालय से प्रधानाध्यापक, 2–2 शिक्षक कुल 100 शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी तथा प्रत्येक विद्यालय से 04 छात्र व 04 छात्राएं कुल 400 छात्रो से शोध क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव से सम्बंधी जानकारियों का संकलन किया गया है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के 94.00 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 81.00 प्रतिशत शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, 89.00 प्रतिशत शिक्षक व 82.00 प्रतिशत छात्रों का अभिमत है कि शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। न्यादर्श में चयनित 650 अभिमतदाताओं में से 83.85 प्रतिशत अभिमत है कि शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, 8.92 प्रतिशत अभिमत है कि शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि 7.23 प्रतिशत अभिमत है कि इस संबंध में पता नही।

इसी प्रकार तीनों समूहों के मध्य सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अन्तर नहीं है, क्योंकि गणना से प्राप्त 'काई' वर्ग का मान 746. 61 आया है, जो कि 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर एवं स्वतंत्रता के अंश 2 पर सारणी के मान क्रमशः 5.99 एवं 9.21 से अधिक है अर्थात सार्थक है। अतः उपर्युक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

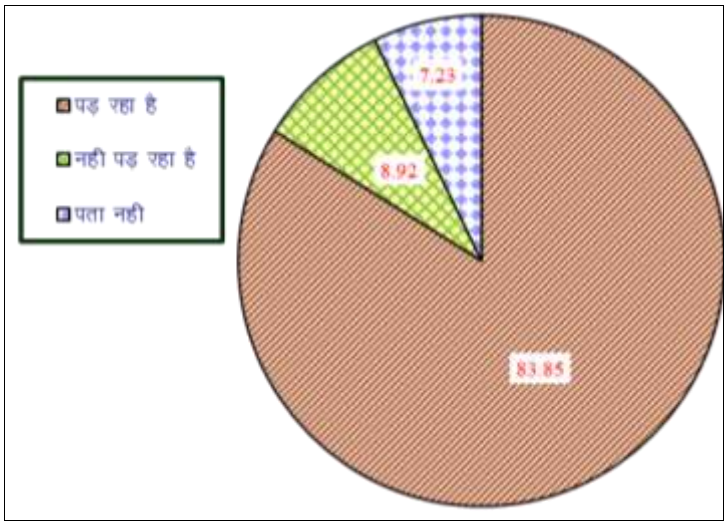

आरेख 1 : शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

परिकल्पना क्र. – 2 : "शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

सारणी 2 : शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

समूह		शहरी	ग्रामीण
समूह की संख्या (N)		200	200
मध्यमान (M)		37.40	35.05
मानक विचलन (SD)		7.36	7.84
क्रान्तिक निष्पत्ति ('t')		3.09	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	

$df = (N_1-1) + (N_2-1)$

$df = (200-1) + (200-1) = 199 + 199 = 398$

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 मे न्यादर्श में चयनित शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव से सम्बधित प्रदत्त संकलित किये गये हैं। संकलित प्रदत्त प्राथमिक स्त्रोत पर आधारित है। सारणी में संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव में सार्थकता का औसत मध्यमान 37.40 है तथा मानक विचलन 7.36 है और ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव का औसत मध्यमान 35.05 है तथा मानक विचलन 7.84 है।

398 df पर सार्थकता के लिए 't' का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त 't' का मान 3.09 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से अधिक है। अतः शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव में सार्थक अन्तर है। अतः परिकल्पना क्र. 2 अस्वीकृत होती है।

11. निष्कर्ष

शोध क्षेत्र के 94.00 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 81.00 प्रतिशत शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, 89.00 प्रतिशत शिक्षक व 82.00 प्रतिशत छात्रों का अभिमत है कि शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का छात्रों के शैक्षिक विकास में पड़ने वाले प्रभाव में सार्थक अन्तर है।

12. संदर्भ

1. कपिल, एच.के. (1996) : सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
2. गुप्ता, एस.पी. (1997) : सांख्यिकी विधियाँ, शारदा पुस्तक भवना, इलाहाबाद.
3. अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989) : मनोविज्ञान एवं शिक्षा में मापन व मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.

4. खुल्लर, के.के. (1988) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्ली विज्ञापन एवं दृष्य प्रसार निर्देशालय.
5. आर्येन्दु, अखिलेश (2007) : प्राथमिक शिक्षा और सरकारी कार्य योजना, 'कुरूक्षेत्र', मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, वर्ष–53, अंक–11 पृ0–10–12।
6. कुमार, डॉ. संजय (2009) : 'सर्व शिक्षा अभियान' अल्फा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
7. कुमारी, शारदा (2005) : प्राथमिक स्तर पर आंकलन की प्रक्रिया, 'प्राथमिक शिक्षक', N.C.E.R.T. की त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष 30, अंक +2, पृ. 46–50।
8. त्रिपाठी रेणु एवं त्रिपाठी, अर्पणा (2007): भारत में प्राथमिक शिक्षा, प्रथम संस्करण, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.
9. जड़िया, कमलेश कुमार एवं जय सिंह (2019) : "छतरपुर जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर समग्र मूल्यांकन का विद्यार्थियों की व्यवहारिक उपलब्धियों पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन", International Journal of Advanced Education and Research, Volume 4; Issue 2; March 2019; Page No. 80-82.